

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ
सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 09.02.2022

विषय- राज्य सरकार के सरकारी सेवकों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/गोपनीय अभ्युक्ति तथा आरोप की स्थिति अद्यतन करने के संबंध में।

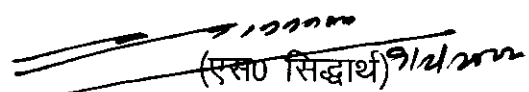
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/गोपनीय अभ्युक्ति तथा आरोप की स्थिति अद्यतन नहीं रहने के कारण नियंत्रि विभाग/कार्यालय में कार्मिक संबंधी मामलों के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होती है।

2. राज्य सरकार के विभिन्न सेवा/संवर्ग के नियंत्रि विभाग/कार्यालय द्वारा सभी सरकारी सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/गोपनीय अभ्युक्ति तथा आरोप की स्थिति को अद्यतन रखने के संबंध में पूर्व में अनुदेश निर्गत किये जाते रहे हैं। फिर भी कतिपय सेवा/संवर्ग के नियंत्रि विभाग/कार्यालय द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/गोपनीय अभ्युक्ति तथा आरोप की स्थिति को अद्यतन नहीं रखे जाने की सूचना प्राप्त होती रही है।

3. वर्णित स्थिति में निदेश दिया जाता है कि सभी नियंत्रि विभाग/कार्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग के सरकारी सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/गोपनीय अभ्युक्ति तथा आरोप की स्थिति को एक पक्ष के अन्दर अद्यतन किया जाय। साथ ही उक्त से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश भी दिया जाय।

विश्वासभाजन


(एस० सिद्धार्थ)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।